

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-74/2021 (2021/182) वाद पत्र

अनवान

1-रतनसिंह गोदपुत्र गोविन्दसिंह उर्फ गोमनसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर

वादी

बनाम

- 1-गंगासिंह पिता फतेहसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-कैलाश कंवर पुत्री फतेहसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-चावण्डसिंह दत्तक पुत्र अबेसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-नरपत पिता गंगासिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-मनोहरकंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-मोतीसिंह पिता माधवसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-रेखाकंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-ललिताकंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-शैलकंवर पत्नि अमरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के वारीस रेकार्ड पर है
- 10-गोरधनसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 10/1-विक्रमसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10/2-शंकरसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-भंवरसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12-शंभुसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13-चतरसिंह पिता शिवनाथसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 13/1-मानसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 14-जयशक्तिसिंह पिता गणपतसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15-राजरथान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपरिथत

1. फारूख मोहम्मद -

वादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:-28/12/2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि आराजियात राजस्व ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 131 में अंकित आराजी संख्या 1087 रकबा 0.44 है, आराजी संख्या 1092 रकबा 0.47 है, आराजी संख्या 1155 रकबा 0.44 है, आराजी संख्या 1157 रकबा 0.35 है, आराजी संख्या 1165 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 1168 रकबा 0.18 है, आराजी संख्या 1169 रकबा 0.32 है, आराजी संख्या 1183 रकबा 0.26 है, आराजी संख्या 1720 रकबा 0.23 है, कुल किता 9 कुल रकबा 2.78 है, आराजी संख्या 328 में अंकित आराजी संख्या 1086 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 1090 रकबा 1.52 है, आराजी संख्या 1091 रकबा 0.22 है, आराजी संख्या 1095 रकबा 0.34 है, आराजी संख्या 1096 रकबा 1.65 है, कुल किता 05 कुल रकबा 3.85 है, आराजी संख्या 91 रकबा 4.35 है, आराजी संख्या 1144 रकबा 0.88 है, आराजी संख्या 1154 रकबा 0.02 है, आराजी

संख्या 1167 रकबा 0.05 हेक्ट गेमु आचा कुल किता 05 कुल रकबा 5.39 हैक्ट. भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 तक वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। वाद पत्र की कलम नम्बर 02 में अंकित खाता संख्या 131 में अंकित आराजियात में वादी के गोद पिता गोविन्दसिंह का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था तथा खाता संख्या 328 में अंकित आराजियात में वादी के गोद पिता व उनके भाईयों का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था, इसी प्रकार खाता संख्या 130 में अंकित आराजियात में वादी के गोद पिता गोविन्दसिंह का 1/12 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। वादी के पिता गोमनसिंह जिनका बोलता नाम था तथा रेकार्ड में गोविन्दसिंह दर्ज रेकार्ड था, जबकि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के थे। गोविन्दसिंह जी ने अपने जीवन काल में दिनांक 03.09.2003 को वादी को जरिये रजिस्टर्ड गोद नामा निष्पादित कर उसके हक में गोद नामा निष्पादित करवाया। तब से वादी अपने गोद पिता के हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस दरमियान गोविन्दसिंह का स्वर्गवास हो गया और वादी ने उक्त गोद नामा नामान्तकरण स्वीकृत करवाने हेतु प्रस्तुत नहीं किया जिससे राजस्व कर्मचारियों ने वादी के गोद पिता गोविन्दसिंह का नाम राजस्व कार्ड से विलोपित कर उनका हिस्सा शेष वारीसान के नाम पर दर्ज कर दिया जो कानूनी रूप से गलत है। वादी अपने गोद पिता की हिस्से की भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। वाद पत्र की कलम नम्बर 02 में अंकित खाता संख्या 131, 328, 130, तीनों में अंकित आराजियात जिनमें सामलाती रूप से, अंकित सहखातेदारान ने फरदन परदन विभाजन करवा ली। वर्तमान में खाता संख्या 139 में अंकित आराजी संख्या 1090 रकबा 1.20 हैक्ट., आराजी संख्या 3315/1095 रकबा 0.26 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.46 हैक्ट भूमि में वादी का 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 141 में अंकित आराजी संख्या 1087 रकबा 0.44 हैक्ट, आराजी संख्या 1092 रकबा 0.47 हैक्ट आराजी संख्या 1155 रकबा 0.44 हैक्ट आराजी संख्या 1157 रकबा 0.35 हैक्ट आराजी संख्या 1165 रकबा 0.09 हैक्ट आराजी संख्या 1168 रकबा 0.18 हैक्ट आराजी संख्या 1169 रकबा 0.32 हैक्ट, आराजी संख्या 1183 रकबा 0.26 हैक्ट, आराजी संख्या 1720 रकबा 0.23 हैक्ट. कुल किता 09 कुल रकबा 2.78 हैक्ट भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा व खाता संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 3226/91 रकबा 2.22 हैक्ट भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा व खाता संख्या 143 में अंकित आराजी संख्या 1154 रकबा 0.02 हैक्ट गेमु आचा, आराजी संख्या 1167 रकबा 0.05 हैक्ट गे.मु. आचा. कुल किता 02 कुल रकबा 0.07 हैक्ट भूमि में वादी का 1/18 हिस्सा व खाता संख्या 61 में अंकित आराजी संख्या 1096 रकबा 1.65 हैक्ट भूमि में वादी का 1/18 हिस्सा निहित है था तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 का नाम भी हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड था, लेकिन उक्त वर्णित भूमियों में वादी का नामान्तकरण गोद पिता की जगह दर्ज नहीं होने से वादी का जायज़ हिस्सा सभी खातेदारान में विभाजित हो गया, जिसकी घोषणात्मक डिक्री जारी करवा वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम झड़ोल में अकिंत राजस्व खाता संख्या 139 में अंकित आराजियात में 1/18 हिस्से का तथा खाता संख्या 141 में अकिंत आराजियात में 1/6 हिस्से का तथा खाता संख्या 140 में अकिंत आराजियात में 1/6 हिस्से का एवं खाता संख्या 143 में अकिंत आराजियात में 1/18 हिस्से का तथा खाता संख्या 61 में अकिंत आराजियात में 1/18 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है तथा हिस्से अनुसार भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करवाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03/11/2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण दिनांक 18.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प झड़ोल में उपस्थित होकर सभी

प्रतिवादीगणो ने वादी को गोविन्दसिंह का गोदपुत्र स्वीकार करते हुए भूमि नाम पर दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं कर सहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादी संख्या 15 फॉर्मल पक्षकार है।

वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा चाण्डसिंह गोदपुत्र अभयसिंह एवं गंगासिंह पिता फतेहसिंह, मोतीसिंह पिता माधवसिंह, भवंरसिंह पिता रामसिंह के बयान कराये गये उक्त सभी बयानकर्ताओं से अपने बयानों में वादी को गोविन्दसिंह का गोदपुत्र होना बताते हुए गोविन्द के नाम की भूमि वादी के नाम दर्ज की जाना उचित बताया।

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादवर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं सहखातेदारों के द्वारा वादी को गोविन्दसिंह का गोदपुत्र होना बताते हुए कोई आपत्ति नहीं करने से वादी को गोविन्दसिंह का दत्तक पुत्र मानते हुए गोविन्दसिंह के हक हिस्से की सीमा तक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि पूर्व के राजस्व रेकार्ड में श्री गोविन्द सिंह का नाम दर्ज रेकार्ड था गोविन्दसिंह के द्वारा वादी रतनसिंह को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के दिनांक 03.09.2003 को गोद नामा निष्पादित करवाया गया किन्तु गोदनामा के अनुसार वादी के नाम भूमि दर्ज नहीं होकर वादी के गोदी पिता का नाम लाओलाद मानते हुए विलोपित कर दिया जबकि मृतक खातेदार गोविन्दसिंह उर्फ गोमनसिंह के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के अपना वारीस घोषित किया गया जिसके अनुसार वादी को मृतक गोविन्दसिंह का उत्तराधिकारी मानते हुए गोविन्दसिंह उर्फ गोमनसिंह के हिस्से तक की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन खाता संख्या 139 में अंकित आराजी संख्या 1090 रकबा 1.20 हैक्ट., आराजी संख्या 3315/1095 रकबा 0.26 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.46 हेक्ट भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का व खाता संख्या 141 में अंकित आराजी संख्या 1087 रकबा 0.44 हैक्ट, आराजी संख्या 1092 रकबा 0.47 हैक्ट आराजी संख्या 1155 रकबा 0.44 हैक्ट आराजी संख्या 1157 रकबा 0.35 हैक्ट आराजी संख्या 1165 रकबा 0.09 हैक्ट, आराजी संख्या 1168 रकबा 0.18 हैक्ट आराजी संख्या 1169 रकबा 0.32 हैक्ट, आराजी संख्या 1183 रकबा 0.26 हैक्ट, आराजी संख्या 1720 रकबा 0.23 हैक्ट. कुल किता 09 कुल रकबा 2.78 हैक्ट भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का व खाता संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 3226/91 रकबा 2.22 हैक्ट भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का व खाता संख्या 143 में अंकित आराजी संख्या 1154 रकबा 0.02 हैक्ट गेमु आचा, आराजी संख्या 1167 रकबा 0.05 हैक्ट गे.मु. आचा. कुल किता 02 कुल रकबा 0.07 हैक्ट भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का व खाता संख्या 61 में अंकित आराजी संख्या 1096 रकबा 1.65 हैक्ट भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का वर्तमान खातेदारों के दर्ज हिस्से में से कम करते हुए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादीगणों के अपने अपने हक हिस्से अनुसार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।



(Signature)
28/12/2021
(सुन्दरलाल बम्बोजा)
सहायक कलेक्टर, रायपुर, छत्तीसगढ़
रायपुर, जिला भोलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—74 / 2021 (2021 / 182) वाद पत्र

अनवान

1—रतनसिंह गोदपुत्र गोविन्दसिंह उर्फ गोमनसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर

वादी

बनाम

- 1—गंगासिंह पिता फतेहसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—कैलाश कंवर पुत्री फतेहसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—चावण्डसिंह दत्तक पुत्र अबेसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—नरपत पिता गंगासिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—मनोहरकंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—मोतीसिंह पिता माधवसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—रेखाकंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—ललिताकंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9—शैलकंवर पत्नि अमरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तह.रायपुर मृतक के वारीस रेकार्ड पर है
- 10—गोरधनसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 10/1—विक्रमसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10/2—शंकरसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11—भंवरसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12—शंभुसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13—चतरसिंह पिता शिवनाथसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 13/1—मानसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 14—जयशक्तिसिंह पिता गणपतसिंह राजपूत निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम झड़ोल तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में स्थित नवीन खाता संख्या 139 में अंकित आराजी संख्या 1090 रकबा 1.20 हैक्ट., आराजी संख्या 3315/1095 रकबा 0.26 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.46 हेक्ट भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का व खाता संख्या 141 में अंकित आराजी संख्या 1087 रकबा 0.44 हैक्ट, आराजी संख्या 1092 रकबा 0.47 हैक्ट आराजी संख्या 1155 रकबा 0.44 हैक्ट आराजी संख्या 1157



रकबा 0.35 हैक्ट आराजी संख्या 1165 रकबा 0.09 हैक्ट, आराजी संख्या 1168 रकबा 0.18 हैक्ट आराजी संख्या 1169 रकबा 0.32 हैक्ट, आराजी संख्या 1183 रकबा 0.26 हैक्ट, आराजी संख्या 1720 रकबा 0.23 हैक्ट. कुल किता 09 कुल रकबा 2.78 हैक्ट भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का व खाता संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 3226/91 रकबा 2.22 हैक्ट भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का व खाता संख्या 143 में अंकित आराजी संख्या 1154 रकबा 0.02 हैक्ट गेमु आचा, आराजी संख्या 1167 रकबा 0.05 हैक्ट गे.मु. आचा. कुल किता 02 कुल रकबा 0.07 हैक्ट भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का व खाता संख्या 61 में अंकित आराजी संख्या 1096 रकबा 1.65 हैक्ट भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का वर्तमान खातेदारों के दर्ज हिस्से में से कम करते हुए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादीगणों के अपने अपने हक हिस्से अनुसार दर्ज किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 28.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Om
28.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपसमूह अधिकारी)
महागणायपुर जिला भीलवाड़ा